मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–187/2024

प्रवीण पुत्र श्री भगवान उर्फ शिवभगवान जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। – – वादी

बनाम

1. सुनील पुत्र श्री भगवान जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रविना पुत्री श्री भगवान पत्नी सूबे सिंह जाति जाट निवासी बकरियां वाली तहसील व जिला सिरसा।
3. सोनू पुत्री श्री भगवान पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राम सिंह पुत्र श्री आशा देवी जाति जाट निवासी पीलीबंगा गाव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. प्रेमसुख पुत्र श्री रामनारायण पुत्र आशादेवी जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. सुरजी देवी पत्नी रामनारायण पुत्र आशादेवी जाति जाट निवासी पीलीबंगा गाव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. मन्जू पत्नी सुरेन्द्र पुत्री आशादेवी जाति जाट निवासी पीलीबंगा गाव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. घोषणा

डिक्री दिनांक :– 12.08.2024

वादीगण की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में [illegible] वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहा[illegible] टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने बाद प[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया ज[illegible] अन्तिम डिक्री की जा[illegible] कि चक नम्बर 10 सी.डी.आर.–ए जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 73/[illegible] में दर्ज कुल तादादी 4.187 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुनील का 625/4187

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा अर्थात 0.625 हैक्टर व चक नम्बर 10 सी.डी.आर.–बी जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 38/33 में दर्ज कुल तादादी 4.807 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुनील का 541/4807 अर्थात 0.541 हैक्टर, व स्व0 आशा देवी के 200/4807 हिस्सा अर्थात 0.200 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाकर चक नम्बर 10 सी.डी.आर.–ए जमाबंदी के खाता संख्या 73/53 में से प्रतिवादी संख्या 1 सुनील व चक नम्बर 10 सी.डी.आर.–बी के खाता संख्या 38/33 में से प्रतिवादी संख्या 1 सुनील व स्व0 आशा देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—	योग	—
योग			

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner